

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-30/2014-207 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-01-2015
प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए सहायक अनुदान वेतन में 6053.59 लाख रुपये, वेतनादि के अलावा मद में 467 लाख रुपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 267 लाख रुपये कुल 6787.59 लाख रुपये (सरसठ करोड़ सतासी लाख उनसठ हजार रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा बजट उपबंध की सीमा में विश्वविद्यालय को तत्काल 6161.27 लाख रुपये (एकसठ करोड़ एकसठ लाख सताईस हजार रुपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹61,61,27,000 (एकसठ करोड़ एकसठ लाख सताईस हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-5883 दिनांक-29.12.2014 द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए सहायक अनुदान वेतन में 6053.59 लाख रुपये, वेतनादि के अलावा मद में 467 लाख रुपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 267 लाख रुपये कुल 6787.59 लाख रुपये (सरसठ करोड़ सतासी लाख उनसठ हजार रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा बजट उपबंध की सीमा में विश्वविद्यालय को तत्काल 6161.27 लाख रुपये (एकसठ करोड़ एकसठ लाख सताईस हजार रुपये) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹61,61,27,000 (एकसठ करोड़ एकसठ लाख सताईस हजार रु०) मात्र [(विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान वेतन मद में ₹54,27,27,000 (चौवन करोड़ सताईस लाख सताईस हजार रु०) मात्र, विषयशीर्ष-31 05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 2,67,00,000 (दो करोड़ सरसठ लाख रु०) मात्र एवं विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में ₹4,67,00,000 (चार करोड़ सरसठ लाख रु०) मात्र] अर्थात् कुल ₹61,61,27,000 (एकसठ करोड़ एकसठ लाख सताईस हजार रु०) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹61,61,27,000 (एकसठ करोड़ एकसठ लाख सताईस हजार रु०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-277-शिक्षा-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0005-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, विपत्र कोड-N2415012770005, के अंतर्गत [(विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित ₹81,40,27,000 विषयशीर्ष-31 05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित ₹4,00,00,000 एवं विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित ₹7,00,00,000)] वित्तीय वर्ष, 2014-15 में उपबंधित कुल ₹92,40,27,000 (बेरानवे करोड़ चालीस लाख सताईस हजार रुपये) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-6720 वि० (2) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

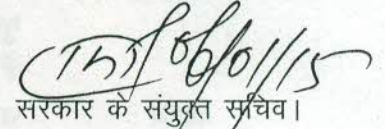
ज्ञापांक

207 (भावरन)

/कृ०, पटना, दिनांक 06-01-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

207 (भावरन)

/कृ०, पटना, दिनांक 06-01-2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।